रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-30092024-257593
CG-MH-E-30092024-257593

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2024/आश्विन 3, 1946
No. 547] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2024/ASVINA 3, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 589(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग में प्रशासन काडर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (प्रशासन काडर) भर्ती नियम, 2024 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन– ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3.पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4.भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6.प्रारंभिक गठन- ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले ज्येष्ठ लिपिक, सहायक, सहायक कार्मिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी-III और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद धारण कर रहे हैं इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनका नियमित और निरंतर उनके संबंधित श्रेणी में सेवा को परिवीक्षा, प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा।

7.शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या अ-चयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. ज्येष्ठ लिपिक।	340*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)।	अचयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पध्दतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता**

(9)	(10)
एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कीदशामेंवेश्रेणियां जिनसेप्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदिविभागीयप्रोन्नति /पुष्टि समिति हैतोउसकी संरचना।**	**भर्ती करने मेंकिन परिस्थितियोंमेंसंघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के माध्यम से प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1 -** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2 -** प्रोन्नत व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 3 -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिस में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:** **परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय के लिए-** 1) उप सचिव या निदेशक (प्रशासन) - अध्यक्ष; 2) अवर सचिव (प्रशासन) -सदस्य; 3) उप लेखा नियंत्रक – सदस्य। **संघटक इकाइयों के लिए-** 1) निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)/ इकाई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - अध्यक्ष; 2) उप लेखा नियंत्रक - सदस्य; 3) किसी अन्य संघटक इकाई के समूह-क अधिकारी (प्रशासन या लेखा काडर) - सदस्य। **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)** जिस में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: **परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय के लिए-**	लागू नहीं होता।

	1) उप सचिव या निदेशक (प्रशासन) -अध्यक्ष; 2) अवर सचिव (प्रशासन) -सदस्य; 3) उप लेखा नियंत्रक – सदस्य। **संघटक इकाइयों के लिए-** 1) निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)/ इकाई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - अध्यक्ष; 2) उप लेखा नियंत्रक - सदस्य; 3) किसी अन्य संघटक इकाई के समूह-क अधिकारी (प्रशासन या लेखा काडर) - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.सहायक।	338*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(44900-142400रुपए)।	अचयन पद।

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा। (i) अस्सी प्रतिशत विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर; (ii) बीस प्रतिशत ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर।

(11)	(12)	(13)
1. विभागीय अर्हक परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति:- (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:** परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय के लिए: 1. उप सचिव या प्रशासन प्रभारी निदेशक -अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन) -सदस्य;	लागू नहीं होता।

ज्येष्ठ लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी-I, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और सहायक सुरक्षा अधिकारी (क और ख)। (ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक और आशुलिपिक–'घ' जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; 2. ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के माध्यम से प्रोन्नति: (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में ऐसे ज्येष्ठ लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर (ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1.-** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने हेतु निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2.-** आशुलिपिक कैडर के अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता होनी चाहिए। **टिप्पण 3.-** विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर ज्येष्ठता पोषक काडर अधिकारियों की पात्रता पर आधारित होगी। **टिप्पण4.-** प्रोन्नत व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान	3. उप लेखा नियंत्रक, परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य; **परमाणु ऊर्जा विभाग की संघटक इकाइयों के लिए:** 1. निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) / उप लेखा नियंत्रक – सदस्य; 3. अन्य संघटक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारी–-III / उप स्थापना अधिकारी -सदस्य। **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:** परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय के लिए: 1. उप सचिव या प्रशासन प्रभारी निदेशक -अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन) -सदस्य; 3. उप लेखा नियंत्रक, परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य; **परमाणु ऊर्जा विभाग की संघटक ईकाईयों के लिए:** 1. निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) / उप लेखा नियंत्रक - सदस्य; 3. अन्य संघटक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारी– -III उप स्थापना अधिकारी -सदस्य	

प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 5.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सहायक कार्मिक अधिकारी।	188*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपए)।	अचयन ।

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा। (i) अस्सी प्रतिशत विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर; (ii) बीस प्रतिशत ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर।

(11)	(12)	(13)
विभागीय अर्हक परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति:	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:**	लागू नहीं होता।

(क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) में ऐसे सहायक, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) में ऐसे निजी सचिव (गैर-सचिवालय) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ग) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में ऐसे वैयक्तिक सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; (घ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-I, ज्येष्ठ लिपिक, सहायक सुरक्षा अधिकारी (क और ख), और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; (च) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक और आशुलिपिक श्रेणी – 'घ' जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; **टिप्पण 1.-** क्रम संख्यांक(घ) तथा (च) में उल्लिखित पदों को धारण करनेवाले अभ्यर्थियों को सहायक पद के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा। **टिप्पण 2 -** वे सहायक जो पहले क्रम संख्यांक (ख), (ग), (घ) और (च) में उल्लिखित पदों पर रहे हैं और प्रत्येक पद के सामने यथाउल्लिखित	1. परमाणु ऊर्जा विभाग में केंद्रीकृत काडर के प्रभारी अपर सचिव या संयुक्त सचिव - अध्यक्ष; 2. परमाणु ऊर्जा विभाग में केंद्रीकृत काडर के प्रभारी निदेशक या उप सचिव। - सदस्य; 3. किसी भी इकाई/ डीएई के निदेशक (का. एवं प्रशा.) - सदस्य; 4. डीएई की किसी भी संघटक इकाई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य। **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:** 1. परमाणु ऊर्जा विभाग में केंद्रीकृत काडर के प्रभारी अपर सचिव या संयुक्त सचिव - अध्यक्ष; 2. परमाणु ऊर्जा विभाग में केंद्रीकृत काडर के प्रभारी निदेशक या उप सचिव। - सदस्य; 3. किसी भी इकाई / डीएई के निदेशक (का.एवं प्रशा.) - सदस्य; 4. डीएई की किसी भी संघटक इकाई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य।	

संयुक्त नियमित सेवा की है, वे भी पात्र होंगे। ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के माध्यम से प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) में ऐसे सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; **टिप्पण 1 -** विभागीय अर्हक परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना अपेक्षित है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अपेक्षित होगा। **टिप्पण 2 -** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने हेतु निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 3 -** प्रोन्नत व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 4 -** विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर ज्येष्ठता पोषक काडर अधिकारियों की पात्रता पर आधारित होगी। **टिप्पण 5 -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों केसंबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी		

अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. प्रशासनिक अधिकारी-III	49*(2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11(67700-208700रुपए)।	चयन।	लागू नहीं होता।	चयन।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति :** (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रुपए) में ऐसे सहायक कार्मिक अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में ऐसे अनुभाग अधिकारी या तत्कालीन कनिष्ठ विश्लेषक जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में अनुभाग अधिकारी और सहायक कार्मिक अधिकारी वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) के रूप में सात वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा की हो; (ग) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रुपए) में ऐसे तत्कालीन जनसंपर्क अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या ऐसे तत्कालीन जनसंपर्क अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपए) में तत्कालीन जनसंपर्क अधिकारी और तत्कालीन सहायक जनसंपर्क अधिकारी(वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपए) के रूप में सात वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा की हो; (घ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में ऐसे तत्कालीन सहायक जनसंपर्क अधिकारी, तत्कालीन श्रम सह कल्याण अधिकारी, निजी सचिव, तत्कालीन कल्याण अधिकारी, तत्कालीन संपर्क अधिकारी, तत्कालीन कर्मचारी संबंध अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो;

			टिप्पण 1.- प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने हेतु निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2.-** पात्र अधिकारियों को लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार में उपस्थित होना अपेक्षित है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल में शामिल करने के लिए नामों की सिफारिश करते समय ध्यान में रखा जाएगा। **टिप्पण 3.-** प्रोन्नत व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 4.-** विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर ज्येष्ठता पोषक काडर अधिकारियों की पात्रता पर आधारित होगी। **टिप्पण 5.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सेवाओं के समूह 'क' या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघराज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी – (क) जोमूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो और (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविदयालय से स्नातक डिग्री रखने के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रूपए) में प्रशासनिक काडर में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1 –** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 –** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिस के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. केंद्रीकृत प्रशासनिक काडर के प्रभारी अपर सचिव या संयुक्त सचिव - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य; 3. मुख्य लेखा नियंत्रक, परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य; 4. नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र - सदस्य। **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलितहैं:** 1. केंद्रीकृत प्रशासनिक काडर के प्रभारी अपर सचिव या संयुक्त सचिव - अध्यक्ष; 2. मुख्य लेखा नियंत्रक, परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग में केंद्रीकृत काडर के प्रभारी निदेशक या उपसचिव – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।	18*(2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200रुपए)।	चयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिस के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रुपये) में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी-III या तत्कालीन	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:** 1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग – अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

औद्योगिक संबंध अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1.-** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने हेतु निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2.-** विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर ज्येष्ठता पोषक काडर अधिकारियों की पात्रता पर आधारित होगी। **टिप्पण 3.-** चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सम्मिलित रहेगा। **टिप्पण 4.-** प्रोन्नत व्यक्तियों को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 5.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सेवाओं के समूह 'क' या केंद्रीय	2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र - सदस्य; 3. केंद्रीकृत प्रशासनिक काडर के प्रभारी अपर सचिव या संयुक्त सचिव - सदस्य; 4. संयुक्त सचिव, डीएई - सदस्य; और 5. विभाग के बाहर से सचिव द्वारा नामनिर्देशिती - सदस्य।	

सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी – (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो और (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविदयालय से स्नातक डिग्री रखने के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रूपए) में प्रशासनिक काडर में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण-1.-**पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.–** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं.19/6/2022-सीसीएस/13772]

ए.आर. सुले, अपर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2024

G.S.R. 589(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Administration Cadre in the Department of Atomic Energy, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Administration Cadre) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. Initial Constitution. - The incumbents holding the posts of Senior Clerk, Assistant, Assistant Personnel Officer, Administrative Officer-III and Chief Administrative Officer immediately before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service in their respective grades shall be counted for the purposes of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

7. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULEs

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Senior Clerk.	340*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.	Non-Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absoption and percentage of the vacancies to be filled in by various methods.
(9)	(10)
One year	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion / confirmation Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion through Seniority-cum-Fitness: Upper Division Clerk in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with five years of regular service in the grade. **Note 1.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year. **Note 2.-** Promotees shall undergo Training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during the period of probation. **Note 3.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** **For Department of Atomic Energy Secretariat-** (1) Deputy Secretary or Director | (Administration) -Chairperson; (2) Under Secretary (Administration) – Member; (3) Deputy Controller of Accounts - Member. **For Constituent units-** (1) Director (Personnel & Administration) / Chief Administrative Officer of the Unit –Chairperson; (2) Deputy Controller of Accounts - Member; (3) Group 'A' Officer (Administrative or Accounts cadre) from another constituent unit - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** **For Department of Atomic Energy Secretariat-** (1) Deputy Secretary or Director (Administration) -Chairperson; (2) Under Secretary (Administration) – Member; (3) Deputy Controller of Accounts - Member. **For Constituent units-** (1) Director (Personnel & Administration) / Chief Administrative Officer of the Unit –Chairperson; (2) Deputy Controller of Accounts- Member; (3) Group 'A' Officer (Administrative or Accounts cadre) from another	Not applicable.

	constituent unit - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant.	338*(2024) *Subject to variation dependant on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted.	Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.	Non-selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)
One year	By promotion: (iii) Eighty per cent. on the basis of Departmental Qualifying Examination; (iv) Twenty per cent. on the basis of Seniority-cum-Fitness.

(11)	(12)	(13)
1. Promotion through Departmental Qualifying Examination:- (a) Senior Clerk, Stenographer Grade I, Personal Assistant, Junior Translation Officer and Assistant Security Officer (A and B) in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix. (b) Upper Division Clerk and Stenographer-D in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with three years of regular service in the grade; 2. Promotion through Seniority-cum-Fitness: (a) Senior Clerk in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with two years regular service in the grade, failing which (b) Upper Division Clerk in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with eight years of regular service in the grade. **Note 1.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be the 1st January of the vacancy year.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** **For Department of Atomic Energy Secretariat:** 1. Deputy Secretary or Director in charge of Administration –Chairperson; 2. Under Secretary (Administration) – Member; 3. Deputy Controller of Accounts, Department of Atomic Energy – Member. For constituent units of Department of Atomic Energy: 1. Director (Personnel & Administration) or Chief Administrative Officer - Chairperson; 2. Joint Controller (Finance & Accounts) / Deputy Controller of Accounts - Member; 3. Administrative Officer – III / Deputy Establishment Officer of other constituent Units – Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** **For Department of Atomic Energy Secretariat:**	Not applicable.

Note 2.- Candidates from Stenographer Cadre shall possess minimum educational qualification of Bachelors Degree from a recognized University. **Note 3.-** The inter se seniority, while preparing the panel by Departmental Promotion Committee shall be based on the eligibility of feeder cadre officers. **Note 4.-** Promotees shall undergo Training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during the period of probation. **Note 5.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	1. Deputy Secretary or Director in charge of Administration –Chairperson; 2. Under Secretary (Administration) – Member; 3. Deputy Controller of Accounts, Department of Atomic Energy – Member. **For constituent units of Department of Atomic Energy:** 1. Director (Personnel & Administration) or Chief Administrative Officer - Chairperson; 2. Joint Controller (Finance & Accounts) / Deputy Controller of Accounts - Member. 3. Administrative Officer – III / Deputy Establishment Officer of other constituent Units – Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Assistant Personnel Officer.	188*(2024) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non Ministerial.	Level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix.	Non-Selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)
One year	By promotion: i. Eighty per cent. on the basis of Departmental Qualifying Examination; ii. Twenty per cent. on the basis of Seniority-cum-Fitness.

(11)	(12)	(13)
Promotion through Departmental Qualifying Examination:	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:**	Not applicable.

(a) Assistant in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with three years of regular service in the grade; (b) Private Secretary (Non Secretariat) in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with three years of regular service in the grade; (c) Personal Assistant in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with three years of regular service in the grade; (d) Stenographer Grade I, Senior Clerk, Assistant Security Officer (A and B), Junior Translation Officer in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years of regular service in the grade; (e) Upper Division Clerk and Stenographer Grade D in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade. **Note 1.**- Candidates holding the posts mentioned at serial numbers (d) and (e) shall be required to pass the Departmental examination for the post of Assistant. Note 2.- Those Assistants who earlier held the posts mentioned at serial numbers (b), (c), (d) and (e) and have combined regular service as mentioned against each post shall also be eligible. **Promotion through Seniority-cum-Fitness:** Assistant in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with eight years of regular service in the grade. **Note 1.-** Eligible candidates for promotion through departmental qualifying examination are required to appear for written examination. Those candidates who qualify in written examination are required to appear for interview. **Note 2.-** The crucial date for computing the period of eligibility	1. Additional Secretary or Joint Secretary in-Charge of the Centralized Cadre in Department of Atomic Energy. – Chairperson; 2. Director or Deputy Secretary in-Charge of Centralized Cadre in Department of Atomic Energy. – Member; 3. Director (P&A) of any Unit / DAE – Member; 4. Chief Administrative Officer of any constituent Units of DAE – Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Additional Secretary or Joint Secretary in-Charge of the Centralized Cadre in Department of Atomic Energy. – Chairperson; 2. Director or Deputy Secretary in-Charge of Centralized Cadre in Department of Atomic Energy. – Member; 3. Director (P&A) of any Unit / DAE – Member; 4. Chief Administrative Officer of any constituent Units of DAE – Member.	

for promotion shall be the 1st January of the vacancy year. **Note 3.-** Promotees shall undergo Training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during the period of probation. **Note 4.-** The inter se seniority, while preparing the panel by Departmental Promotion Committee shall be based on the eligibility of feeder cadre officers. **Note 5.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Administrative Officer-III.	49*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial.	Level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Selection.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	One year.	By Promotion failing which by deputation.	Promotion: (a) Assistant Personnel Officer in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix with seven years of regular service in the grade. (b) Section Officer or erstwhile Junior Analyst in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade; or Section Officers in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix with combined regular service of seven years as Section Officer and Assistant Personnel Officer in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix. (c) Erstwhile Public Relation Officer in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix with five years

			of regular service in the grade or erstwhile Public Relation Officer in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix with combined regular service of seven years as erstwhile Public Relations Officer and erstwhile Assistant Public Relations Officer in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix. (d) Erstwhile Assistant Public Relations Officer, erstwhile Labour cum Welfare Officer, Private Secretary, erstwhile Welfare Officer, erstwhile Liaison Officer, erstwhile Staff Relations Officer in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix with seven years of regular service in the grade. **Note 1**.- The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be the 1st January of the vacancy year. **Note 2.-** Eligible officers are required to appear for written examination followed by interview. The marks obtained in the written examination shall be taken into consideration by the Departmental Promotion Committee while recommending the names for empanelment. **Note 3.-** Promotees shall undergo Training arranged by Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during the period of probation. **Note 4.-** The inter se seniority, while preparing the panel by Departmental Promotion Committee shall be based on the eligibility of feeder cadre officers. **Note 5.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying eligibility service. Deputation: Officers from All-India Services or Central services Group 'A' or Central Government or State Government or Union territories– (a) holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre or Department and (b) Possessing Bachelor's Degree from a recognised University with seven years of regular service in Administration Cadre in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix. **Note-1.-** The Department Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note-2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately

			preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3.–** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary in charge of Centralized Administrative Cadre – Chairperson; 2. Joint Secretary, Department of Atomic Energy - Member; 3. Chief Controller of Accounts, Department of Atomic Energy – Member; 4. Controller, Bhabha Atomic Research Centre - Member. **Group 'A' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Additional Secretary or Joint Secretary in charge of Centralized Administrative Cadre – Chairperson; 2. Chief Controller of Accounts, Department of Atomic Energy – Member; 3. Director or Deputy Secretary in-Charge of Centralized Cadre in Department of Atomic Energy. – Member;	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Chief Administrative Officer.	18*(2024) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial.	Level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix.	Selection.

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

(11)	(12)	(13)

Promotion: Administrative Officer-III or erstwhile Industrial Relations Officer in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix with five years of regular service in the grade. **Note 1.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be the 1st January of the vacancy year. **Note 2.-** The inter se seniority, while preparing the panel by Departmental Promotion Committee shall be based on the eligibility of feeder cadre officers. **Note 3.-** Selection shall involve interview of the candidates. **Note 4.-** Promotee officers shall undergo Training arranged by Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy after the appointment. **Note 5.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers from All-India Services or Central services Group 'A' or Central Government or State Government or Union territories– (a) holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre or Department and (b) Possessing Bachelor's Degree from a recognised University with five years of regular service in Administration Cadre in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix. **Note-1.-** The Department Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Secretary, Department of Atomic Energy – Chairperson; 2. Director, Bhabha Atomic Research Centre – Member; 3. Additional Secretary or Joint Secretary in charge of Centralized Adm. Cadre – Member; 4. Joint Secretary, DAE – Member; and 5. A nominee of Secretary from outside the Department - Member.	Not applicable.

eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note-2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3.–** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		

[F. No. 19/6/2022-CCS/13772]
A. R. SULE, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA